कार्यकारी सार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य तरीके से ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है जो शहरी क्षेत्रों के भीतर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को जन्म देती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2016 के दौरान बनाये गये विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम अपशिष्ट के निस्तारण और प्रबंधन के लिये एक वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन का उपयोग करके प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी के लिए व्यापक योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता और प्रभावशीलता का आँकलन करने के लिए अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि को आच्छादित करते हुये शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है:

राज्य नीति, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना (अप्रैल 2016) की तारीख से एक वर्ष के अंदर तैयार किया जाना चाहिए था, वास्तव में जून 2018 में तैयार की गई थी। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की गयी थी। नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 12 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपविधि बनायी गयी थी। इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गयी उपविधियों में एकरूपता का अभाव था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कई वर्षों में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन से सम्बंधित समान आंकड़े संसूचित किये गये थे, जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी। राज्य सरकार द्वारा न तो अपशिष्ट बीनने वालों के लिए प्रचलनात्मक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये और न ही उनके पंजीकरण के लिए कोई योजना प्रारम्भ की गयी। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से 35 शहरी स्थानीय निकायों मे सफाई कर्मचारियों की कमी को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से पूरा किया गया, शेष (सात) नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों

में वाहय सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवाओं के बाद भी सफाई कर्मचारियों की कमी बनी रही। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की कमी थी।

जागरूकता (सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता) गतिविधियां भित्ति चित्र और विज्ञापन पट के माध्यम से आयोजित की गयीं थीं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक मीडिया और जनसंचार के माध्यम से सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों को नमूना जांच किये गये क्रमशः चार और दो शहरी स्थानीय निकायों में अपनाया गया था। शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन के क्षमता निर्माण हेतु प्रस्तावित 112 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब और अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण मात्र 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

2016-22 के दौरान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत की गयी धनराशि का प्रतिशत शून्य से 63 प्रतिशत के मध्य था। अग्रेतर, क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों में यह प्रतिशत क्रमशः शून्य से 20 प्रतिशत और 3 से 62 प्रतिशत था, जिससे राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) स्तर पर लेखापरीक्षा अवधि के सभी वर्षों के दौरान अत्यधिक अप्रयुक्त शेष धनराशि रह गयी । इसके अतिरिक्त, 2017-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय घटकों के अंतर्गत राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को निधियां क्रमशः 55 से 236 दिनों और 11 से 1,098 दिनों के विलंब के साथ निर्गत की गयीं थीं । नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने वर्ष 2016-22 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों के अंतर्गत क्रमशः शून्य से 25 प्रतिशत, 17 से 60 प्रतिशत और 36 से 55 प्रतिशत तक उपभोग किया था।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मिश्रित अपशिष्ट का संग्रहण कर उसका परिवहन संयंत्र, भूमि भरण अथवा क्षेपण स्थल पर किया जा रहा था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों के सार्वजनिक सर्वेक्षण के दौरान स्रोत पृथक्कीकरण का कोई दृष्टांत नहीं पाया

गया। नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र स्थापित नहीं किये गये थे| निधि निर्गत हुये तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद ठोस अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की छंटाई के लिए 38 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। अग्रेतर, 89 प्रतिशत नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के वजन हेतु धर्मकांटा की सुविधा नहीं थी। पृथक्कीकृत अपशिष्ट के संग्रहण हेतु मात्र 67 प्रतिशत टिपर विभाजनयुक्त थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में द्वार-द्वार संग्रहण के अंतर्गत घरों का अपर्याप्त आच्छादन पाया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य मिशन निदेशक स्तर पर त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण के कारण नमूना जांच किये गये सात शहरी स्थानीय निकायों में तिपहिया साईकिल और हल्के वाणिज्यिक वाहन/छोटे टिपर का अधिक प्रावधान किया गया था।

2016-22 के दौरान राज्य स्तर पर और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों स्तर पर संग्रहीत अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्कृत अपशिष्ट क्रमशः 26 से 71 प्रतिशत और शून्य से 63 प्रतिशत था। 2005-15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से मात्र 20 संयंत्र कार्यदायी संस्था द्वारा स्थापित किये गये थे, जिनमें से मात्र 15 संयंत्र संचालित थे। अग्रेतर, 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत 36 प्रसंस्करण संयंत्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इनमें से 19 संयन्त्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। तथापि, मशीनरी क्रय हेतु निधि निर्गत न होने के कारण इन्हें क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। अवशेष 17 संयंत्रों में निर्माण कार्य पूर्ण (जुलाई 2023) नहीं हुआ था । 36 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आबंटित भूमि मानकों के अनुसार अपर्याप्त थी। 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 72 में पुराने अपशिष्ट का आँकलन पूर्ण किया गया था, जिससे कुल 84,57,782 मीट्रिक टन पुराना अपशिष्ट क्षेपित होना पाया गया। तथापि, अवशेष 579 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट की मात्रा का आँकलन नहीं किया गया था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन जनवरी 2017 में किया गया था और 2017-22 के दौरान 10 निर्धारित बैठकों में से मात्र छः बैठकें आयोजित की

गयीं थीं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपर्याप्त विवरणों/सूचनाओं के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की, जिसके परिणामस्वरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अपेक्षित आंकड़ों की श्रेणीवार मात्रा यथा पीला, लाल, सफेद और नीला तथा उपचार और निस्तारण विधियों के विवरण (जैसे भस्मीकरण, आटोक्लेव इत्यादि) की अनुपलब्धता थी । राज्य में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करने वाले 17 प्रतिशत से 43 प्रतिशत अधिभोक्ता बिना उचित प्राधिकार के संचालित थे। 2020-21 के दौरान राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के अनुमानित उत्पादन 1,030 टन प्रतिदिन के सापेक्ष प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण की मौजूदा क्षमता 722.50 टन प्रतिदिन थी। 2016-21 के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण का प्रबंधन करने में विफल रहे।

अनुशंसायें

- *राज्य सरकार को प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण पर बेहतर सूचना प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए उपविधि समयबद्ध तरीके से बनायी एवं लागू की जाये।*
- *राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नागरिकों के व्यवहार में प्रभावी रूप से संवेदनशील परिवर्तन के लिए सूचना, शिक्षा ,संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।*
- *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि निर्दिष्ट समय के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निधियां राज्य सरकार के पास अवरुद्ध न रहें।*
- *राज्य सरकार को अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं और संग्रहकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली*

तैयार करके अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिये और सख्त अनुश्रवण और कार्यान्वयन व्यवस्था के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक्कीकृत अपशिष्ट को मिश्रित होने से रोकना चाहिये।

- सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का उपयोग समुचित क्रियाशीलता एवं धर्मकांटा सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की उचित व्यवस्था हो और शहरी स्थानीय निकायों में सभी घर द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं से आच्छादित हों ।
- राज्य सरकार को नियमित रूप से उत्पादित ठोस अपशिष्ट और शहरी स्थानीय निकायों में क्षेपित किये गये पुराने अपशिष्ट का शीघ्रातिशीघ्र वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये ।
- राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करना चाहिये ।
- राज्य सरकार को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण/निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये। उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उचित कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिये।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्धारित अनुश्रवण बैठकें आयोजित की जाये और राज्य/जिला स्तर की बैठकों में उठाये गये प्रकरणों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाये।